

मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2012 तथा राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत अनुमन्य दरें।

मानव क्षति

क्षति का प्रकार	अनुमन्य दरें
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	₹4.00 लाख प्रति मृत व्यक्ति राज्य आपदा मोचन निधि से।
आंशिक रूप से अपंग	₹1,00,000/- (₹59100 प्रति व्यक्ति राज्य आपदा मोचन निधि से व ₹40900/- मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से)
पूर्ण रूप से अपंग	₹2.00 लाख प्रति व्यक्ति राज्य आपदा मोचन निधि से।
साधारण रूप से घायल	₹15,000/- प्रति व्यक्ति (₹4,300 प्रति व्यक्ति राज्य आपदा मोचन निधि से व ₹10700 मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से)
गम्भीर रूप से घायल	₹50,000 प्रति व्यक्ति (₹12,700 प्रति व्यक्ति राज्य आपदा मोचन निधि से व ₹37300/- मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से)

पशु क्षति

पशु क्षति का प्रकार	अनुमन्य दरें
गाय भैंस (03 वर्ष से अधिक आयु)	₹30,000 प्रति पशु भैंस/गाय/ऊँट/याक/ मिथुन आदि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि से।
घोड़ा-खच्चर	₹40000/- (₹25000/- प्रति पशु घोड़े के लिये राज्य आपदा मोचन निधि से व ₹15000/- प्रति पशु घोड़े के लिये मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2012 से)।
बैल (03 वर्ष से अधिक आयु)	₹25000/- प्रति पशु बैल राज्य आपदा मोचन निधि से।
गाय का बछड़ा/बछिया तथा भैंस का पडुवा/पड़िया	₹16000/- प्रति पशु बछिया/गधा/टटू/ खच्चर के लिये। राज्य आपदा मोचन निधि से।
बकरी/भेड़	₹ 3000 प्रति पशु गेड़/बकरी/गुजर के लिये राज्य आपदा मोचन निधि से।

फसल क्षति

कृषि फसल का प्रकार		अनुमन्य दरें।
गन्ना	सम्पूर्ण फसल	₹ 25,000/प्रति एकड़ (मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2012 से)
धान/गेहूं/तिलहन	सम्पूर्ण फसल	₹ 15,000/ प्रति एकड़ (मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2012 से)
उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर		₹ 8,000/ प्रति एकड़ (मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2012 से)

मकान क्षति

मकान का प्रकार	(अ) पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ नष्ट भवन		अनुमन्य दरें।
कच्चा मकान पक्का मकान (पूर्ण रूप से)	(i) पक्का भवन	₹95000/- प्रति भवन मैदानी क्षेत्रों में	₹ 95000/- प्रति भवन मैदानी क्षेत्रों में राज्य आपदा मोचन निधि से।
	(ii) कच्चा भवन		
कच्चा मकान (आंशिक रूप से)			₹ 20000/- प्रति भवन मैदानी क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2012 से)
पक्के मकान की चहारदीवारी की क्षति तथा पक्के मकान की आंशिक क्षति	(स)आंशिक क्षतिग्रस्त भवन (i) पक्का भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो।	₹5,200/- प्रति भवन	₹ 15,000 (₹ 5,200 पक्का भवन आंशिक एवं पूर्ण क्षति होने पर (राज्य आपदा मोचन निधि से व ₹ 9,800 पक्का भवन आंशिक एवं पूर्ण क्षति होने पर (मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2012 से)
	(ii) कच्चा भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो।	₹3,200/- प्रति भवन	₹ 15,000/- (₹ 3,200 कच्चा भवन क्षति होने होने पर (राज्य आपदा मोचन निधि से व ₹ 11,800 कच्चा भवन क्षति होने पर (मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2012 से)
झोपड़ी, टट्टर से निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर	(द)क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी	₹4,100/- प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, स्थानान्तरणीय एवं कच्चे घर से निम्न स्तरीय इकाई से है, जिसका निर्माण घास-फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य/जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो)	₹ 5,000/- (₹4,100/- प्रति झोपड़ी राज्य आपदा मोचन निधि से व ₹900/- प्रति झोपड़ी मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से)
		नोट-क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।	